उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष में प्राधिकरणों के अंशदान के संबंध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 27-10-2023 समय सायं 5:00 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्तः-

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष में अंशदान के संबंध में दिनांक 27-10-2023 समय सायं 5:00 बजे आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव एवं विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित एवं विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग करने वाले अधिकारीगण का विवरण निम्नवत् हैः-

1- श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा, अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2- श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, सहा0 लेखाधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3- श्री अशोक कुमार वाजपेयी, वित्त नियन्त्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
4- श्री प्रेम प्रकाश मीना, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा।
5- श्री साहित्य कुमार कटियार, वित्त नियन्त्रक, यूपीसीडा।
6- श्री संजय कुमार खत्री, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा।
7- श्री स्वतन्त्र कुमार, वित्त नियन्त्रक, नोएडा।
8- श्री आशुतोष द्विवेदी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा।
9- श्री विशम्भर बाबू, महाप्रबन्धक वित्त, यमुना एक्सप्रेसवे।
10- आवास एवं विकास परिषद

1- एजेण्डा-1 में वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष में प्राधिकरणों/निकायों के अशंदान के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के उपरान्त यह प्रकाश में आया कि राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष हेतु बजट प्रावधान 2019 से बन्द कर दिया गया है, जबकि प्राधिकरणों/निकायों का कोष में अशंदान सतत रूप से जारी है। वर्तमान में व्यापार वाणिज्य एवं उद्योगों के बढ़ावा हेतु औद्योगिक क्षेत्रों/बाजार तथा उसके आस-पास अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्राधिकरणों/निकायों से ही अशंदान लेकर उन्ही के औद्योगिक क्षेत्रों में विकास हेतु व्यय किया जाना औचित्यपूर्ण नही है। अतः अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन द्वारा उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष में प्राधिकरणों/निकायों के अशंदान को बन्द किए जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाहीः- अवस्थापना विकास अनुभाग/यूपीसीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेसवे/आवास एवं विकास परिषद/लखनऊ विकास प्राराधिकरण/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण)

2- एजेण्डा-2 में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में प्राधिकरणों/निकायों हेतु निर्धारित अंशदान के सापेक्ष जिन प्राधिकरणों/निकायों द्वारा अंशदान जमा नहीं किया गया है उस धनराशि

को कोष में जमा कराए जाने पर कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया।

(कार्यवाही:- अवस्थापना विकास अनुभाग/यूपीसीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेसवे/आवास एवं विकास परिषद/लखनऊ विकास प्राराधिकरण/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण)

3- एजेण्डा-3 में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में शासन द्वारा प्राधिकरणों/निकायों का कोष में अशंदान निर्धारित नही किया गया था। सम्प्रेक्षादल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्धारित अंशदान को आधार मानकर वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु धनराशि रू0 50.00 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु धनराशि रू0 50.00 करोड़ कुल धनराशि रू0 100.00 करोड़ उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष के बैंक खाते में जमा कराए जाने की अपेक्षा पर कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया।

(कार्यवाही:- अवस्थापना विकास अनुभाग/यूपीसीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेसवे/आवास एवं विकास परिषद/लखनऊ विकास प्राराधिकरण/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण)

4- एजेण्डा-4 में अन्य बिन्दु के अन्तर्गत अवस्थापना विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में दिनांक 28-08-2023 के पासबुक पोस्टिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष के बैंक खाते में 108.76 करोड़ मात्र अवशेष है। उक्त अवशेष धनराशि में से स्वीकृत/कमिटेड धनराशि रू0 34.84615 करोड़ मात्र को घटाने के उपरान्त उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष में नए कार्यो को कराए जाने हेतु धनराशि रू0 73.91 करोड़ शेष है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, मेरठ तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा से उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष से वित्त पोषित किए जाने हेतु लगभग धनराशि रू0 72.96 करोड़ का आगणन/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में अच्छी परियोजनाओं यथा- अमौसी, कुर्सी रोड तथा गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य कराए जाने हेतु उनसे प्रस्ताव प्राप्त किए जाने के भी निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही:- अवस्थापना विकास अनुभाग)

5- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन, द्वारा अन्य बिन्दु के अन्तर्गत अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत यूपीसीडा के अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष आगणन/प्रस्ताव दो सप्ताह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए, ताकि वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा सके।

(कार्यवाही:- यूपीसीडा)

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Signed by मनोज कुमार सिंह
Date: ...2023 17:20:07
Reason: Approved

(मनोज कुमार सिंह)
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

उत्तर प्रदेश शासन
अवस्थापना विकास अनुभाग
संख्या-502/83-अव0-2023-02(बजट)/2021
लखनऊ: दिनांक 10/11/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- निजीसचिव, सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजीसचिव, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

6- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर नगर।

7- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर।

8- उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

9- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

10- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इनवेस्ट यूपी, लखनऊ।

11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश यादव)
उप सचिव।